संख्या-78/2019/2480/71-1-2019-जी-133/2018

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 06 सितम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/346, दिनॉक 21-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु उपकरणों का क्रय किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रय किये गये उपकरणों पर भारित जी0एस0टी0 की लम्बित देयता का भुगतान किए जाने हेतु उपकरण क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रय किये गये उपकरणों पर भारित जी0एस0टी0 की लम्बित देयता का भुगतान किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 11,95,755/- को छोड़ते हुए राजकीय मेडिकल कालेजे, प्रयागराज के विभिन्न विभागों हेतु उपकरण, जिनका उल्लेख संलग्न सूची (क्रमांक-1 से 83) में किया गया है, का क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,50,00,000/- के सापेक्ष रू0 2,38,04,245.00 (रू0 दो करोड़ अड़तीस लाख चार हजार दो सौ पैंतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

3- प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्रय किए जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

8- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई हो।

9- प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जाएगा तथा प्रश्नगत उपकरणों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्म्मदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

10- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपकरणों की सूची।

भवदीय

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव

संख्या:- 78/2019/2480(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।